उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-37/2017/एस-2-1958/दस-2017-88क(6)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 14 सितम्बर,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री संजय कुमार राय,वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यहित में अपने कार्य के साथ-साथ वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ का कार्य अतिरिक्त रूप से सम्पादित किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि इस अतिरिक्त कार्य हेतु श्री राय को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

<u>संख्या-37/2017/एस-2-1958(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, आयुष अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-173/96-आयुष-2-2017-108/2014टी सी0-।।।, दिनांक 08-9-2017 के सन्दर्भ में।
2- मिशन निदेशक, आयुष मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- संबंधित अधिकारी।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।